तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज प्र.सं. 85/2023 जीसीएमएस : 2023/186 प्रहलाद राम बनाम अनन्दाराम आदि वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 राज.काश्त.अधि.	नम्बर व तारीख अहकाम जो जो इस हुक्म की तामील में जारी किये गये
20.03.2025	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। तहसीलदार श्रीविजयनगर के पत्रांक/भू.अ./2025/758 दिनांक 27.02.2025 के द्वारा विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुआ। बहस वकील वादी सुनी गयी। वादी द्वारा प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अनुसार विवादित भूमि का विभाजन करते हुए वाद पत्र डिक्री करने हेतु निवेदन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जा चुकी है। वादी द्वारा वाद पत्र प्रस्तुत कर मात्र खाता विभाजन का अनुतोष चाहा गया है। वादी का विवादित भूमि में प्रतिवादीगण के साथ संयुक्त खाता में 1784/3049 हिस्सा दर्ज रिकार्ड है। विवादित भूमि का विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार श्रीविजयनगर से प्राप्त हो चुका है, जिसके अनुसार ही वादी विभाजन करवाना चाहता है। ऐसी स्थिति में वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाना न्यायसंगत है। अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार श्रीविजयनगर से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के आधार पर विवादित भूमि चक 14 जीबी तहसील श्रीविजयनगर की जमाबंदी खाता सं. 82 में दर्ज मु.नं. 3 एवं 11 की कुल खाता योग 3.049है. नहरी के सहखातेदारान वादी प्रहलाद राम पुत्र रामकुमार हिस्सा 1784/3049 का अन्य सहखातेदार/प्रतिवादीगण से खाता विभाजन किया जाकर वादी को निम्नलिखित भूमि का खातेदार घोषित किया जाता है :– **चक 14 जीबी तहसील श्रीविजयनगर प.नं. 150/401 मु.नं. 11 कि.नं. 7 से 9, 12, 13 प्रत्येक 0.253है. कि.नं. 10, 11 प्रत्येक 0.228है. एवं कि.नं. 14/1 में 0.063है. इस प्रकार कुल 1.784है. नहरी** उपर्युक्त भूमि पृथक खाता में वादी के नाम से दर्ज की जावे। शेष भूमि प्रतिवादीगण के नाम से यथावत संयुक्त खाता में रहेगी। अन्य अंकन भूमि की किस्म/प्रकृति व राहिन इत्यादि बदस्तुर रहेगा। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी हो। **निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 20.03.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।** पत्रावली फैंसले में शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। शकुन्तला R.A.S. उपखण्ड अधिकारी श्रीविजयनगर **उपखण्ड अधिकारी** **श्रीविजयनगर**	

Signature Not Verified

Digitally signed by Shakuntala
Date: 2025.08.20 11:22:33 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner